

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1) रामचन्द्र गंडु पिता-स्व. - फुलचंद गंडु, 2) श्रीमती- दीपिका देवी पति- रामचन्द्र गंडु 3) कृष्णा कुमार भोगता पिता- स्व. गेन्दो सिंह, 4) सोनू कुमार भोगता पिता- स्व. गेन्दो सिंह, एवं 5) श्रीमती चम्पा देवी पति- स्व. कन्हैया गंडु ग्राम- तापिन, थाना- माण्डू, जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम- तापिन, थाना सं. 112 (गैरमजरुआ खास एवं जंगल-झाड़ी भूमि) खाता सं.- 01/97, के अधीन प्लॉट सं.- 90/1564, 90/1565, 99/1566, 102; खाता सं.- 1 के अधीन प्लॉट सं.- 32/2162, 32/2163, 902/2164, 171/2165; खाता सं.- 1/31 के अधीन प्लॉट सं.- 90/1684, 90/1685 कुल रकबा - 10.00 एकड़ (i.e. 9.13 एकड़ गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि एवं 0.87 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि;) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (हजारीबाग क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्वेश कुमार  
१८/०६/२०२४  
मुख्य प्रबंधक (राजस्व)  
सी.सी.एल